



अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्ण गली नं. 9, चौबटूर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 098668711893, 09414040403

E-mail : abrsmb@rediffmail.com, abrsmb@rediffmail.com, Website: www.abrsmb.in

संकेत - प्रो. के. मस्तरि (080) 23324503, 23325743, 09880695357

कर्मचारी
डॉ. विनायक प्रसाद अग्रवाल
(0141) 2785328, 09414022884

महासंघी
डॉ. कमलीका प्रसाद सिंघानिया
(0141) 2503159, 09414008780

अति. महासंघी
डॉ.बी. बाबूपुत्र मसूर
(0824) 2478141, 09448502080

संगठन मंत्री
मोहन मसूर
09885711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री
श्रीजयालक्ष्मी सिंघानिया
(0822) 2235784, 09418121229

ABRSM

उपाध्यक्ष

श्रीमती विजयलक्ष्मी अग्रवाल (अहमदाबाद)
08372802051

सामाजिक शिक्षा सचिव (दिल्ली)
08312115138

डॉ. अशोक कुमार सिंघानिया (अहमदाबाद)
(0867) 2285228, 09481782291

डॉ. विजयलक्ष्मी अग्रवाल (अहमदाबाद)
08412168928

सचिव

श्रीमती अमर. श्रीलक्ष्मी (अहमदाबाद)
(080) 28488485, 09886822448

विभागाध्यक्ष (अहमदाबाद)
(07428) 256501, 09428873481

श्रीमती सुदीपिका (अहमदाबाद)
09828234345

डॉ. इमरुद्दीन खान (अहमदाबाद)
09879067178

संयुक्त सचिव

डॉ. सुदीप खन्ना (दिल्ली)
09911391761

श्रीमती सुधा सिंघानिया (अहमदाबाद)
09423488131

श्री टी. रंजना (अहमदाबाद)
09482148248

डॉ. अशोक सिंघानिया (दिल्ली)
09880677888

कोषाध्यक्ष

सहायक कोषाध्यक्ष (अहमदाबाद)
09428894706

आंतरिक अंकेक्षक

अमर. सिंघानिया (अहमदाबाद)
09877808338

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रमारी

मोहन कुमार (अहमदाबाद)
09418201882

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख

विष्णु प्रसाद मसूरि (अहमदाबाद)
09828113431

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख

अमर. बाबूपुत्र मसूर (अहमदाबाद)
(080) 22485488, 09482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख

विजयलक्ष्मी अग्रवाल (अहमदाबाद)
09425178729

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख

डॉ. राजेश चन्द सिंघानिया (अहमदाबाद)
09284308254

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान

अमर. अशोक सिंघानिया (दिल्ली)
09889000810

समर्थ भारत

विजयलक्ष्मी अग्रवाल (अहमदाबाद)
09828187811

पत्रांक: महा. 4/विक्रम संवत् 2072

दिनांक: 8.5.2015

माननीया श्रीमती स्मृति शुभिन इरानी
मानव संसाधन विकास मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय : महासंघ की शासन से अपेक्षाएँ

महोदया,

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आपसे अनुरोध करता है कि निम्नलिखित विषयों पर शिक्षा हित में विचार कर आवश्यक कार्यवाही कर अनुग्रहीत करें -

- राष्ट्रीय अस्मिता, भारतीय जीवन मूल्यों, मानव एवं चरित्र निर्माण, सामाजिक सरोकार, मौलिक चिन्तन, शोध एवं नवाचार से युक्त सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति की पुनःसंरचना की जाये।
वर्तमान शिक्षा व्यवस्था सूचना सम्प्रेषण तक सीमित होती जा रही है। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य मानव एवं चरित्र निर्माण की दृष्टि से शिक्षा हाशिए पर चली गई है। उत्सुकता, समीक्षा, आलोचना, दृष्टि, कल्पना, मौलिक चिन्तन, नवाचार, अनुसंधान, राष्ट्रीय अस्मिता, सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक सरोकार की दृष्टि से शिक्षा बिल्कुल खोखली प्रतीत होती है। मानव निर्माण के लिए शिक्षा में राष्ट्रीय अस्मिता, भारतीय जीवन मूल्यों, सामाजिक निर्माण, मौलिक चिन्तन, शोध एवं नवाचार से ओत-प्रोत शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना आज की महम् आवश्यकता है।
- शिक्षा व्यवस्था के नियोजन, नियमन एवं नियन्त्रण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतन्त्र एवं स्वायत्त विधायक शिक्षा आयोग का निर्माण हो।
पिछले वर्षों में निजी शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आई है। नियमन एवं नियन्त्रण की लचर व्यवस्था के कारण सैकड़ों विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों ने शिक्षा को धन कमाने का व्यवसाय बना लिया है। इन शिक्षण संस्थाओं का शिक्षा से कोई गंभीर सरोकार नहीं है और शिक्षार्थी एवं अधिभावक पूर्ण रूप से निराश एवं असहाय हैं। शिक्षा संस्थाओं के प्रारम्भ, संचालन, शुल्क का ढांचा, पाठ्यक्रम, वेतन निर्धारण, फैंकल्टी चयन आदि या तो निजी प्रबन्धन की मनमानी का शिकार हैं या केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अधिकार में। शिक्षा को बचाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतन्त्र एवं स्वायत्त विधायक आयोग का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिससे कि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को नियमित एवं नियन्त्रित किया जा सके।



अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 506/13, कृष्ण गली नं. 9, चौबनूर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : absh@rediffmail.com, absh@rediffmail.com, Website: www.absh.in

संकेत - प्रो. के. मसूरी (080) 23324503, 23325743, 09880695357

कर्मचारी
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
(0141) 2783328, 09414022884

महामंत्री
डॉ. कमलीका प्रसाद सिंघानिया
(0141) 2503159, 09414008790

अति. महामंत्री
डॉ. वी. बाबूपुत्र नरु
(0824) 2478141, 09448532080

संगठन मंत्री
जीव नरु
09885711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री
जीवपाळ शिंदे
(0222) 2236784, 09418121289

ABRSM

उपाध्यक्ष

श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा (भारत)
08373802051

कानून विभाग अध्यक्ष (दिल्ली)
08312115138

डॉ. अशोक कुमार शिंदे (भारत)
(0867) 2283228, 09481782281

डॉ. विवेक शर्मा (भारत)
08412168928

सचिव

श्रीमती अरु. श्रीलक्ष्मी (भारत)
(080) 28488485, 09888824488

विभागाध्यक्ष (भारत)
(07428) 256591, 09428873481

श्रीमती सुदीपिका (भारत)
09828234345

डॉ. इमरतुल्लाह (भारत)
09879067178

संयुक्त सचिव

डॉ. सुरेश शर्मा (दिल्ली)
09911391761

श्रीमती सुधा शिंदे (भारत)
09425488131

श्री वी. वेंकटराव (भारत)
09882148248

डॉ. अशोक शिंदे (दिल्ली)
09888877888

कोषाध्यक्ष

कमलेश प्रसाद शर्मा (भारत)
09428894706

आंतरिक अंकेक्षक

कमलेश प्रसाद शर्मा (भारत)
09877808338

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रमारी

जीव नरु (भारत)
09418201282

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख

विष्णु प्रसाद शर्मा (भारत)
09828113431

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख

डॉ. अशोक कुमार शर्मा (भारत)
(080) 22485488, 09482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख

विष्णु शिंदे (भारत)
09425178729

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख

डॉ. जीव नरु शिंदे (भारत)
09284308254

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान
डॉ. अशोक कुमार शर्मा (दिल्ली)
09889000810

समर्थ भारत

विष्णु प्रसाद शर्मा (भारत)
09828113431

पत्रिका:

दिनांक:

3. सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा राज्य अपने बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करे ताकि आधारभूत सुविधाएँ जैसे शिक्षक, पुस्तकें, भवन, खेल के मैदान आदि उपलब्ध हो सकें।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 67 वर्ष पश्चात् भी शिक्षा शिक्षकों, पुस्तकों, भवनों, खेल के मैदानों को तरस रही है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बावजूद केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सकल घरेलू आय का 04 प्रतिशत से कम शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। इससे हजारों लोग ज्ञान अर्जन से वंचित हो रहे हैं और शोध, अनुसंधान एवं नवाचार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता तार-तार होती दिख रही है और सम्पूर्ण जगत को ज्ञान देने वाले भारत के विद्यार्थियों की स्थिति आज संसार के आखिरी कुछ देशों में की जा रही है। स्थिति में सुधार के लिये देश की सकल राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना अतिआवश्यक है।

4. सम्पूर्ण देश में शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल किया जाये एवं शिक्षा सम्बन्धी सभी निर्णयों में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद हो।

आज शिक्षा राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप से त्रस्त है और सभी शैक्षिक निर्णयों में इन्हीं का एकाधिकार है। यहाँ तक कि आजकल तो परियोजनाओं का निर्धारण भी सरकार करने लगी है। शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल करने के लिए इसे पूर्ण रूप से सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। सभी शैक्षिक निर्णयों में शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करना होगा और शिक्षा व्यवस्था में प्रजातन्त्रीय व्यवस्था को स्वीकार करना होगा।

5. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों को सुसंगत एवं व्यावहारिक बनाया जाये तथा उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएँ प्रदान की जाये।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून का हम स्वागत करते हैं लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें व्यावहारिक एवं सुसंगत बनाने की आवश्यकता है। आठवीं तक किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण न करने के निर्णय, समग्र मूल्यांकन के अन्तर्गत शिक्षकों को औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय व्यतीत करने, अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी के बिन्दुओं पर समय रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इस कानून को व्यावहारिक बनाने के लिए इसके कुछ प्रावधानों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

6. प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा में ही दी जाये।

बच्चा अपनी मातृभाषा में अधिक आसानी से सीखता है और इससे उसकी सुचन करने की शक्ति में वृद्धि होती है, अतः प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाये।



अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदर, 506/13, कृष्ण गली नं. 9, चौबटूर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 098668711893, 09414040403

E-mail : absh@rediffmail.com, absh@rediffmail.com, Website: www.absh.in

संकेत - प्रो. के. पट्टरि (080) 23324503, 23325743, 09860595357

कर्मचारी
श्री. विनायक प्रसाद अग्रवाल
(0141) 2783328, 09414022884

सहायक
श्री. कनकेश प्रसाद सिंघानिया
(0141) 2503159, 09414008780

यति, सहायक
श्री.के. वासुदेव शर्मा
(0824) 2478141, 09448502080

संगठन मंत्री
श्री.के. शर्मा
09866711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री
श्री.के. शर्मा
(0822) 2236784, 09418121229

ABRSM

उपाध्यक्ष

श्री.जी. विनायक प्रसाद अग्रवाल (अध्यक्ष)
08372802051

सहायक उपाध्यक्ष (दिल्ली)
08312115138

श्री. अशोक कुमार सिंघानिया (अध्यक्ष-व्यंज)
(0867) 2283228, 09481782281

श्री. विनायक प्रसाद (अध्यक्ष-व्यंज)
08412168928

सचिव

श्री.जी.के. अशोक कुमार (अध्यक्ष-व्यंज)
(080) 28488485, 09866822448

विनायक सिंघानिया (अध्यक्ष-व्यंज)
(07428) 256591, 09428873481

श्री.के. सुदीप (अध्यक्ष-व्यंज)
09828234345

श्री.के. सुदीप (अध्यक्ष-व्यंज)
09879067178

संयुक्त सचिव

श्री. सुदीप शर्मा (दिल्ली)
09811391761

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09423488131

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09482148248

श्री.के. सुदीप शर्मा (दिल्ली)
09866877888

कोषाध्यक्ष

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09428894706

आंतरिक अंकेक्षक

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09817808338

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रमारी
श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09418201882

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09828113431

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09828113431

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09828113431

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
(080) 22485488, 09482014280

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09428178729

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09428178729

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09828113431

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09828113431

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09828113431

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09828113431

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09828113431

श्री.के. सुदीप शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
09828113431

पत्रांक:

दिनांक:

- देश के सभी महाविद्यालयों में विभिन्न शिक्षक पदों का नामकरण एक समान यू.जी.सी. की अनुज्ञांसा के अनुरूप सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रूप में किया जाये।
यू.जी.सी. द्वारा शिक्षा पर समग्र रूप से विचार करते हुए सम्पूर्ण देश में एक समान पदनामों के अपनाने की अनुज्ञांसा इस अपेक्षा से की भी जिससे अलग-अलग नामों से जाने वाले शिक्षकों के पदनाम में एकरूपता लायी जा सके। पदनाम बदलने के निर्णय से सरकार पर किसी भी प्रकार का विचिरीय भार नहीं आयेगा और इससे उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी होगा। महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पदनाम देने से न केवल पदों की भ्रान्ति दूर होगी बल्कि सम्पूर्ण देश में पदनामों में एकरूपता भी आयेगी।
- अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों को वेतन भुगतान की कोषागार भुगतान व्यवस्था हो।
अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वेतन भुगतान में अनेक विसंगतियां पनपी हैं और इनके कारण अनेक शिक्षण संस्थान शिक्षकों का शोषण करने से नहीं हिचकते हैं। सभी शिक्षकों को वेतन का पूर्ण एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वेतन के भुगतान की कोषागार व्यवस्था किया जाना श्रेयस्कर रहेगा।
- शिक्षा के बाजारीकरण पर नियन्त्रण सुनिश्चित हो।
शिक्षा के बाजारीकरण के दुष्परिणाम अब देश में दिखने लगे हैं। आज शिक्षण संस्थाएँ डिग्री एवं सर्टीफिकेट बांटने वाली संस्थान बनती जा रही हैं। इनके नियमन एवं नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था हो जिससे शिक्षा व्यापार का विषय न बने। शिक्षा व्यवस्था के नियोजन एवं नियंत्रण में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षामिदों से मुक्त स्वतंत्र व स्वायत्त नियामक शिक्षा आयोग उपयोगी भूमिका निभा सकता है।
- सम्पूर्ण देश में एक समान राष्ट्रीय वेतनमान नीति लागू की जाये और सम्पूर्ण देश में समान सेवाशर्तों एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाये।
देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में शिक्षकों के वेतनमानों एवं सेवा शर्तों में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं। इनके वेतनमान भिन्न-भिन्न हैं और सेवा शर्तों में अनेक प्रकार की भिन्नताएँ हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त का पालन करते हुए सम्पूर्ण देश में शिक्षकों के लिए समान वेतनमान नीति लागू किये जाने की आवश्यकता है। इससे सम्पूर्ण देश में समान वेतनमान, सेवाशर्तों एवं सुविधाओं की पालना सुनिश्चित की जा सकेगी।
- देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र में प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं। सम्बन्धित सरकारें वेतनमानों के आर्थिक भार से बचने के उद्देश्य से विद्यार्थी मित्र, फ़ैटटीचर, सविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, प्रबोधक, शिक्षामित्र, अंशकालीन



अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्ण गली नं. 9, चौब्यूर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 098668711893, 09414040403

E-mail : absh@rediffmail.com, absh@rediffmail.com, Website: www.absh.in

संस्क - प्रो. के. पट्टरि (080) 23324503, 23325743, 09860695357

कर्मचारी
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
(0141) 2783328, 09414022884

महासंघी
डॉ. कमलीका प्रसाद सिंघानिया
(0141) 2503159, 09414008780

यति, महासंघी
डॉ.के. बाबूपुत्र नरु
(0824) 2478141, 09448532080

संगठन मंत्री
श्रीमन्त कौर
09885711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री
श्रीमत्याल सिंह
(0822) 2236784, 09418121289

ABRSM

उपाध्यक्ष

श्रीमती विमलाका अग्रवाल (अध्यक्ष)
08573802051

सहसंघीय शिक्षा सचिव (दिल्ली)
08312116138

डॉ. अशोक कुमार सिंह (अध्यक्ष-व्यंज)
(0867) 2283228, 09481782281

डॉ. विमल साहू (अध्यक्ष-व्यंज)
08412168828

सचिव

श्रीमती अमर शीलकाम्नी (अध्यक्ष-व्यंज)
(080) 28488485, 09888822448

विमल सिंह शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
(07428) 256591, 09428873481

श्रीमन्त कुटीर (अध्यक्ष-व्यंज)
09828234345

डॉ. इमरुद्दौल्लाह (अध्यक्ष-व्यंज)
08573867178

संयुक्त सचिव

डॉ. सुरेश शर्मा (दिल्ली)
08911391761

श्रीमती सुधा मिश्रा (अध्यक्ष-व्यंज)
08423488131

श्री पी. वेंकटराव (अध्यक्ष-व्यंज)
08482148248

डॉ. अशोक मिश्रा (दिल्ली)
08888677888

कोषाध्यक्ष

सहसंघीय प्रसाद अग्रवाल (अध्यक्ष-व्यंज)
08428894706

आंतरिक अंकेक्षक

अमर मिश्रा (अध्यक्ष-व्यंज)
08177808338

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रमारी
श्रीमन्त कुमार (अध्यक्ष-व्यंज)
09418201882

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
विष्णु प्रसाद वट्टी (अध्यक्ष-व्यंज)
09828113431

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
एच. अशोक कुमार (अध्यक्ष-व्यंज)
(080) 22485488, 09482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विमल सिंह (अध्यक्ष-व्यंज)
09425178729

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. पी.एच. मिश्रा (अध्यक्ष-व्यंज)
08284308254

आयाम प्रमुख
शिक्षक सम्मान
अमर मिश्रा (अध्यक्ष-व्यंज)
08889008810

समर्थ भारत
विमल साहू (अध्यक्ष-व्यंज)
0828187811

पत्रांक:

दिनांक:

शिक्षक आदि नामों से अस्थायी व्यवस्था कर रही है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इस व्यवस्था को तुरन्त समाप्त किया जाये और इसके लिए शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात को सुधारकर 1:30 किया जाये तथा सभी विषयों के अध्यापकों एवं प्राध्यापकों की नियमित एवं स्थायी नियुक्ति की जाये और शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुवृद्ध व्यवस्था हो।

आज लाखों पद पूरे देश में रिक्त पड़े हुए हैं और इनके स्थान पर अस्थायी व्यवस्था के आधार पर काम चलाया जा रहा है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास तो हो ही रहा है, परन्तु शिक्षा का सम्पूर्ण ढांचा ही चरमरा गया है। कामचलाऊ व्यवस्था के स्थान पर शिक्षकों की नियमित एवं स्थायी नियुक्ति की आवश्यकता है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सभी स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था हो जिससे शिक्षक शिक्षार्थी के सम्पूर्ण विकास में सकारात्मक योगदान कर सके एवं नवीनतम ज्ञान से उनका परिमार्जन कर सके।

12. सम्पूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाय।

देश के विभिन्न राज्यों में विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु अलग-अलग है। राजस्थान में 60 वर्ष केरल में 55 वर्ष, उत्तराखण्ड में 58 वर्ष, उत्तर प्रदेश में 62 वर्ष, बिहार में 65 वर्ष और केन्द्र सरकार में 65 वर्ष है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी की स्थिति से निपटने, उनके अनुभव का लाभ उठाने एवं शिक्षा के कैरियर को अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जानी चाहिए। जीवन प्रत्याशा में अनवरत वृद्धि तथा शिक्षा सेवा में प्रवेश की आयु में हो रही वृद्धि के कारण सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करना न्यायोचित होगा।

13. 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बहाल की जाये।

नवीन पेंशन योजना एक प्रतिगामी ऋदप है। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना को सभी शिक्षकों के लिए बहाल किया जाये ताकि भारत के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को सही साबित किया जा सके।

14. सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा प्रदत्त की जाये एवं उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो।

उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना शिक्षकों की क्षमता में अभिवृद्धि करेगा, अतः सभी शिक्षकों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा की कारण एवं व्यावहारिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

15. विद्यार्थी मित्र, पैरा टीचर, सहायक शिक्षक, अतिथि शिक्षक, प्रबोधक, शिक्षा मित्र, अंशकालिक शिक्षक, शिक्षाकर्मी आदि नामों से कार्य करने वाले शिक्षकों को न्यूनतम



अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 506/13, कृष्ण गली नं. 9, चौब्यूर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 098668711893, 09414040403

E-mail : abrm@rediffmail.com, abrm@rediffmail.com, Website: www.abrm.in

संकेत - प्रो. के. महरि (080) 23324503, 23325743, 09880595357

कर्मचारी
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
(0141) 2783328, 09414022884

महामंत्री
डॉ. जगदीश प्रसाद सिंघल
(0141) 2503159, 09414008780

अति. महामंत्री
डॉ.बी. बाबूपुत्र मरुत
(0824) 2478141, 09448532080

संगठन मंत्री
मोहन कपूर
0988711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री
जीजपाल सिंह
(0822) 2235784, 09418121229

ABRM

उपाध्यक्ष

श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा (अध्यक्ष)
08573802051

राजकीय शिक्षा विभाग (दिल्ली)
08312115138

डॉ. अशोक कुमार सिंह (अध्यक्ष-व्यंज)
(0867) 2283228, 09481782291

डॉ. विवेक शर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
08412168928

सचिव

श्रीमती अमर शीलाशर्मा (अध्यक्ष-व्यंज)
(080) 28484485, 09888822448

विद्यार्थी शिक्षा विभाग (अध्यक्ष-व्यंज)
(07428) 256591, 09428973461

श्रीमती सुदीपिका (अध्यक्ष-व्यंज)
09828234345

डॉ. इमरुद्दीन खान (अध्यक्ष-व्यंज)
08573867178

संयुक्त सचिव

डॉ. सुरेश शर्मा (दिल्ली)
08911391761

श्रीमती सुधा मिश्रा (अध्यक्ष-व्यंज)
09423488131

श्री पी. वेंकटराव (अध्यक्ष-व्यंज)
08482148248

डॉ. जगदीश सिंघल (दिल्ली)
09880677888

कोषाध्यक्ष

सहसंयोजक जगदीश (अध्यक्ष-व्यंज)
0942894706

आंतरिक अंकेक्षक

अमर मिश्रा (अध्यक्ष-व्यंज)
0817388338

उच्च शिक्षा संवर्ग प्रमारी

मोहन कुमार (अध्यक्ष-व्यंज)
09418201882

प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख

विष्णु प्रसाद चट्टोपेयी (अध्यक्ष-व्यंज)
09828113431

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख

डॉ. जगदीश प्रसाद अग्रवाल (अध्यक्ष-व्यंज)
(080) 22485488, 09482014280

मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख

विमल सिंह (अध्यक्ष-व्यंज)
09425178729

शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख

डॉ. पी.ए. अमर मिश्रा (अध्यक्ष-व्यंज)
09284308254

आयाम प्रमुख

शिक्षक सम्मान

डॉ. अमर मिश्रा (अध्यक्ष-व्यंज)
09889000810

समर्थ भारत

विमल प्रसाद अग्रवाल (अध्यक्ष-व्यंज)
09828187811

पत्रांक:

दिनांक:

वेतन एवं सेवाशर्तों का अखिलम्व निर्धारण कर उनका पालन सुनिश्चित किया जाये।

अनेक नामों से जाने-जाने वाले अस्थायी शिक्षक अल्प वेतन एवं नाम-मात्र की सुविधाओं के आधार पर कार्य कर रहे हैं जिन्हें जीवन-यापन करना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा वे नियोजक के शोषण के शिकार भी हो रहे हैं। जब तक इनके स्थान पर नियमित एवं स्थायी नियुक्ति हो तब तक इन्हें एक आधारभूत वेतनमान एवं सेवाशर्तें सुनिश्चित करने की व्यवस्था करनी होगी जिससे वे समाज में सम्मान से रह सकें।

16. पीएच.डी. 2009 नियमों के लागू होने के पूर्व पीएच.डी. हेतु पंजीकरण कराने वाले एवं पीएच.डी. धारकों का नवीन नियमों से मुक्त रखा जाये।

चूँकि किसी भी प्रकार के नियमों को पूर्वव्यापी समय से प्रभावित करना न तो न्यायसंगत है और न ही व्यावहारिक। इन नियमों के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व के पीएच.डी. धारकों को तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूर्व में ही इन नियमों से छूट देने की अनुशंसा कर चुका है, जिन्हें मानव संसाधन मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया था। इन नियमों से मुक्त करने से हजारों पीएच.डी. धारकों एवं पीएच.डी. करने वालों को लाभ मिलेगा।

17. शोध के प्रोत्साहन के लिए शोध प्रोत्साहन योजना सम्पूर्ण देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज रूप से लागू की जाये।

18. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महाविद्यालय प्राचार्य का कार्यकाल 5 वर्ष तक सीमित नहीं किया जाकर सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने तक रखा जाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालयों के प्राचार्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए सीमित कर दिया है। यह न तो व्यावहारिक है और न ही न्यायोचित। क्योंकि प्राचार्य का पद चयनित पद है और उनका पूर्व पद पर कोई लिपन भी नहीं रहता। अतः 5 वर्ष की समाप्ति के बाद उनका भविष्य अनिश्चित न रहे इसलिए इन नियमों में परिवर्तन कर इनका कार्यकाल सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने तक करना न्याय संगत रहेगा।

सादर।

भवदीय

(Handwritten Signature)

(जगदीश प्रसाद सिंघल)

महामंत्री